राजस्थान सरकार

राजस्व(ग्रुप-6)विभाग

क्रमांक-प० 11 (1)राज0-6/2004/पार्ट 20 जयपुर,दिनांक- 14.11.2005

1. समस्त संभागीय आयुक्त।
2. समस्त जिला कलेक्टर।

:: परिपत्र::

यह ध्यान में लाया गया है कि राज्य में कुछ लोग गैर खातेदारी कृषि भूमि एवं लीजधारी भूमि का विक्रय कर रहे हैं, जो अवैधानिक है। अतः स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में गैर खातेदार द्वारा गैर खातेदारी की कृषि भूमि या लीजधारी द्वारा लीजशुदा जमीन का अवैधानिक विक्रय कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में उन प्रकरणों में क्रेता के नाम खोले गये नामान्तरण को नियमानुसार निरस्त कराकर राज्य सरकार के हक में भूमि को सिवाय चक दर्ज करने की कार्यवाही तुरन्त की जावे और क्रेता से कब्जा लेने की कार्यवाही भी की जावे।

समस्त से अपेक्षा की जाती है कि परिपत्र के परिपेक्ष्य में अपने जिलों में राजस्व अधिकारियों से जांच कराये व अवैधानिक पाये गये मामलों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही करावें और राज्य सरकार को एक माह में स्थिति बताते हुए रिपोर्ट प्रेषित करें।

जिन अधिकारियों ने नियमों के विपरीत गैर खातेदारी व लीज की भूमियों को दूसरों को विक्रय के आधार पर क्रेता के पक्ष में नामान्तरण

--- 2 ---